

File No: Imports/TFM/Apex-2022 -FSSAI
Food Safety and Standards Authority of India
(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
(Trade and International Cooperation Division)
FDA Bhawan, Kotla Road, NewDelhi-110002

Dated: 30th October, 2025

Office Order

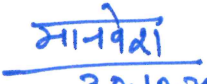
Sub: Processing of review applications of rejected imported food Consignments - reg.

Consequent upon the repatriation of **Col. Sujay Kumar**, Regional Director, Eastern Regional Office (ERO), FSSAI, and in exercise of the powers conferred under Regulation 15 read with Regulation 2(u) of the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017, **the Regional Director, Southern Regional Office (SRO), FSSAI**, is hereby assigned the additional charge as **Review Officer** for review applications pertaining to rejected imported food consignments of the Eastern Region, until further orders.

Sr. No.	Review officer	Review applications from all points of entry (POEs) pertaining to-
1	Regional Director, Southern Regional Office, FSSAI Email: director-sro@fssai.gov.in	Eastern Regional Office, FSSAI and Southern Regional Office, FSSAI

2. This issues with the approval of the Competent Authority.

सादर,


30.10.2025
(मानवेश कुमार)
निदेशक (आयात)

Copy to-

1. All the Stakeholders for compliance
2. All the Regional Directors, FSSAI
3. JS (Customs), CBIC- for circulation to all authorised officers from the Customs for Compliance.
4. CITO, FSSAI HQ for making necessary changes in NCC report and uploading this order on FSSAI website
5. All Authorised Officers, FSSAI

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2025

कार्यालय आदेश

विषय: अस्वीकृत आयातित खाद्य खेपों के समीक्षा आवेदनों पर कार्रवाई - के संबंध में।

कोल. सुजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ERO), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के उपरांत तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 15 को विनियम 2(3) के साथ पढ़ते हुए प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय (SRO), FSSAI के क्षेत्रीय निदेशक को पूर्वी क्षेत्र के अस्वीकृत आयातित खाद्य खेपों से संबंधित समीक्षा आवेदनों के लिए समीक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है।

क्रम संख्या	समीक्षा अधिकारी	सभी प्रवेश बिंदुओं (पीओई) से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करें-
1	क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय (SRO), FSSAI ईमेल: director-sro@fssai.gov.in	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, FSSAI और दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, FSSAI

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सादर,

मानवेंका
30.10.2025
(मानवेंका कुमार)

निदेशक (आयात)

प्रतिलिपि:

- सभी हितधारकों को अनुपालन हेतु
- सभी क्षेत्रीय निदेशक, FSSAI
- संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), CBIC - अनुपालन हेतु सीमा शुल्क के सभी अधिकृत अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु।
- CITO, FSSAI मुख्यालय को NCC रिपोर्ट में आवश्यक परिवर्तन करने तथा इस आदेश को FSSAI वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सभी प्राधिकृत अधिकारी, FSSAI